भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 232
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान योजना के अंतर्गत विस्तार
***232. श्री डी. एम. कथीर आनंदः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के सफल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मॉडल, जिससे सीमांत किसानों के खाते में राशि निर्बाध रूप से जमा होना सुनिश्चित होता है, की तर्ज पर पीएम-किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का दायरा और राशि बढ़ाने का विचार है;
(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वेल्लोर के अनाइकट, के.वी. कुप्पम, वानियमबाड़ी, अंबुर और गुडियाथम जैसे क्षेत्रों में कई काश्तकार और बटाईदार किसान भूमि-स्वामित्व संबंधी मानदंडों के कारण पीएम-किसान योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि हाँ, तो क्या ऐसे किसानों को कल्याणकारी योजनाओं में शामिल करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) क्या केंद्र सरकार मौसम, बाज़ार और परामर्श के संबंध में वास्तविक समय में सटीक आंकड़े प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के "उझावन ऐप" जैसे मॉडल को अपनाने पर विचार करेगी?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पीएम-किसान योजना के अंतर्गत विस्तार" के संबंध में दिनांक 05 अगस्त, 2025 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 232 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिये की भागीदारी के देश भर के सभी पात्र किसानों तक पहुँच सके। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना के प्रारंभ से 04.08.2025 तक 20 किस्तों में किसानों को रुपये 3.90 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाता है। किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के लिए, पीएफएमएस (PFMS), यूआईडीएआई (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए। इसके अतिरिक्त, भूमि सीडिंग के साथ-साथ आधार आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। आधार आधारित भुगतान के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित हुआ है कि योजना का लाभ लाभार्थी के आधार से जुड़े खाते में अंतरित हो। आधार आधारित भुगतान ने बैंक खाता आधारित भुगतान प्रणाली को प्रतिस्थापित किया है, जो पूर्व में डेटा प्रविष्टि संबंधी त्रुटियों एवं बैंकों के विलय के कारण खाता विवरणों में आए परिवर्तनों से प्रभावित होती थी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किए गए इन हस्तक्षेपों से लाभार्थियों को योजना के लाभ का निर्बाध अंतरण सुनिश्चित हुआ है।

वर्तमान में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की कवरेज और लाभ राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना प्राथमिक मानदंड है।

(घ) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, सरकार किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किसान कॉल सेंटर (केसीसी) योजना लागू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है और उन्हें कार्यप्रणाली पैकेज, मौसम की जानकारी, बाजार सलाह और सरकारी योजनाओं से संबंधित सलाह उनकी भाषाओं में टेलीफोन के माध्यम से प्रदान की जाती है। ये कॉल सेंटर देशभर में महत्वपूर्ण स्थानों से संचालित होते हैं, जिससे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कवरेज सुनिश्चित होती है।
किसान कॉल सेंटर के लिए एक समर्पित ग्यारह-अंकों की साझा टोल-फ्री संख्या **1800-180-1551** निर्धारित की गई है, जो मोबाइल फोन और लैंडलाइन दोनों के माध्यम से सुलभ है। किसान कॉल सेंटर के एजेंट, जिन्हें **फार्म टेली एडवाइज़र (एफ़टीए)** कहा जाता है, किसानों की जिज्ञासाओं का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रभावी ढंग से समाधान करतें हैं ।

इसके अतिरिक्त, प्रमुख फसलों के लिए उपयुक्त कीट प्रबंधन सलाह भी प्रदान करने के लिये, सरकार ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (National Pest Surveillance System - NPSS) का शुभारंभ किया है । इस पहल का उद्देश्य कीटों से संबंधित रोगों की वास्तविक समय में निगरानी और प्रबंधन को सशक्त बनाना है। इसके लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल विकसित किया गया है, जिससे देशभर के किसानों को लाभ पहुंचे।

*****